



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 09/2011-सी.डी.एस-II

दिनांक 07.05.2011

(आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 06.06.2011)

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2011

[एसएससी महिला (गैर-तकनीकी) कोर्स सहित]

(आयोग की वेबसाइट - <http://www.upsc.gov.in>)

फा. सं. 8/1/2011-प.1(ख) - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु 18 सितम्बर, 2011 को एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी :

कोर्स का नाम तथा रिक्तियों की संभावित संख्या

- | | |
|--|--|
| (1) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, 250
जुलाई, 2012 में प्रारंभ होने वाला
133वां कोर्स (एनसीसी 'सी' (सेना
स्कंध) प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के
लिए आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं) | |
| (2) भारतीय नौसेना अकादमी, झंझीमाला, 40
जुलाई, 2012 में प्रारंभ होने
वाला कार्यपालक कोर्स
सामान्य सेवा (एनसीसी 'सी'
प्रमाण पत्र धारकों (नौसेना स्कंध)
के लिए 6 आरक्षित रिक्तियां
शामिल हैं) | |
| (3) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद 32
जुलाई, 2012 में प्रारंभ होने वाले
उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात्
नं. 192वां एफ (पी) कोर्स | |
| (4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 175
96वां एसएससी कोर्स (पुरुषों के
लिये) (अक्टूबर 2012 में आरंभ) | |
| (5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 25
दसवां एसएससी महिला (गैर-तकनीकी)
कोर्स अक्टूबर 2012 में आरंभ | |

टिप्पणी : उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेवा मुख्यालय द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।
ध्यान दें : (I) (क) उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन प्रपत्र के संबंधित कालम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह सेवाओं के अपने वरीयता क्रम में किस किस पर विचार किये जाने का इच्छुक हैं। उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयताओं के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. के लिये पात्र हैं, उन्हें केवल ओटीए को ही अपनी प्रथम वरीयता देनी चाहिए।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही पात्र हैं, उन्हें ओ.टी.ए. के लिए ही अपनी वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वे उम्मीदवार जो भारतीय वायु सेना अकादमी में प्रवेश चाहते हैं, वायु सेना अकादमी (ए.एफ.ए.) को अपनी प्रथम प्राथमिकता के रूप में जरूर निर्दिष्ट करें क्योंकि उनका सैन्ट्रल मैडिकल एम्बेलिशमेंट/इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैडिसिन्स पर किसी एक एएफएसबी तथा एएफ चिकित्सा में पायलट (विद्यमान चालक) एपटीट्यूट बैटरी टेस्ट किया जना है। एएफए के विकल्प को द्वितीय या तृतीय प्राथमिकता के रूप में निर्दिष्ट करने का अमान्य माना जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें : (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपनी वरीयता लिखी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवार वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। तथापि कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, जैसा कि इस नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित है, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई) का प्रयोग करके ऑफलाइन मोड के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह प्रपत्र देशभर के निर्दिष्ट प्रधान डाकघरों/डाकघरों (नोटिस के परिशिष्ट-III में विनिर्दिष्ट) से ₹ 30/- (तीस रुपये मात्र) के नकद भुगतान पर खरीदा जा सकता है। ऐसा प्रत्येक प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है।

यदि उम्मीदवारों को किसी निर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर में आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो उन्हें तत्काल संबंधित डाकपाल अथवा सं.लो.से. आ. के "प्रपत्र आपूर्ति निगरानी प्रकोष्ठ" की दूरभाष सं. 011-23389366/फैक्स सं. 011-23387310 पर संपर्क करना चाहिए। यह नोट किया जाए कि सामान्य क्षेत्रों/विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र, यदि कोई हो, आयोग द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र का विकल्प केवल विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है।

(ख) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के परिशिष्ट-II (क) में दिये गये 'ऑनलाइन' आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए अनुदेश और परिशिष्ट-II (ख) में दिए गए 'ऑफलाइन' आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।

3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन (सभी उम्मीदवारों से)

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 06 जून, 2011 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते हैं, इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

(ख) ऑफलाइन : (केवल उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों से)

केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों, जैसा कि इस नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित है, के सभी ऑफलाइन प्रपत्र डाक/स्पीड पोस्ट से 13 जून, 2011 तक "परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए। उम्मीदवार यह नोट करें कि दस्ती अथवा कूरियर के माध्यम से कोई आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. गलत उत्तरों के लिए दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

6. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का कोई अतिबंधन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित कोई प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है (केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर जिनका उल्लेख इस नोटिस के पैरा 6 में किया गया है, जिनके पास ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से आवेदन करने का विकल्प मौजूद है।

(ड) किसी भी उम्मीदवार का अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बदलने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गई वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गई हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गई हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने

से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौ सेना आकदमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात् इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्रदान करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की

गई है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सका है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है :

(i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है, और

(ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि वे उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा जाएंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

(iii) जिन उम्मीदवारों ने वायु सेना को प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुना है, यदि वे पायलट अप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में असफल हो जाते हैं तो उन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) प्रदान करने के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। यदि वे उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो ऐसे उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए भी अपना विकल्प देना चाहिए।

टिप्पणी-I : एन.सी.सी. [सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग)/नौ सेना स्कंध] के 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं, चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है अतः इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती सीडीएस/एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एण्ट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना मुख्यालय, डी.एम. पी.आर (ओ.आई. एण्ड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को 13 मई, 2012 तक पहुंच जाएं।

आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध में 2 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर डिवीजन वायु सेना/नौ सेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उस राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक आकदमी/भारतीय नौ सेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी-II : भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी कोर्स/भारतीय नौ सेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौ सेना स्कंध) के 'सी' प्रमाणपत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक

क्रमशः

और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) आवेदन प्रपत्र भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेशों, (ग) मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन प्रपत्र उपलब्ध हैं, (घ) वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश, (ङ) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा निर्देश तथा (च) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट-I, II क एवं ख, III, IV, V और VI में विस्तार में समझाये गये हैं।

2. परीक्षा के केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट-ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बंगलौर	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मद्रास	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिये उनकी पसंद के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा। किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु **6 जुलाई, 2011** के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवार को अपने आवेदन-प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश-प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गये केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है, तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) **राष्ट्रीयता :** उम्मीदवार या तो :-

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा, या
3. भूटान की प्रजा, या
4. तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रजनन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अन्तिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) **आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :**

(1) **भारतीय सैनिक अकादमी के लिए :** केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1988 से पहले का तथा पहली जुलाई,

1993 के बाद का न हो।

(2) **भारतीय नौ सेना अकादमी के लिए :** केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1990 (एनसीसी 'सी' नौ सेना स्कंध प्रमाणपत्र धारियों के लिए 2 जुलाई, 1988) से पहले का तथा पहली जुलाई, 1993 के बाद का न हो।

(3) **वायु सेना अकादमी के लिए :** केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1989 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1993 के बाद का न हो।

(4) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी कोर्स) :** केवल ऐसे पुरुष उम्मीदवार, (विवाहित या अविवाहित) ही पात्र हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई, 1987 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1993 के बाद का न हो।

(5) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिये (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स) :** अविवाहित महिलायें संतान विहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलायें जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर), पात्र हैं इनका जन्म 2 जुलाई, 1987 से पहले तथा पहली जुलाई, 1993 के बाद न हुआ हो।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। या **हायर सेकंडरी या समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो**। वे प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिये होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाणपत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) **शैक्षिक योग्यताएं :**

(1) **भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) **भारतीय नौसेना अकादमी के लिए :** इंजीनियरी में डिग्री।

(3) **वायु सेना अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी के स्नातक। थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयत वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अन्तिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं तथा अभी अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे आवेदन कर सकते हैं परन्तु उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण आईएमए/एसएससी

प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय/भर्ती. सीडीएसई ऐन्ट्री, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के.पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवार के मामले में नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3(ए), वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(1) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौ सेना तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए **13 मई, 2012** तक या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए **01 अगस्त, 2012** तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यताप्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार, जिन्होंने डिग्री परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है तभी पात्र हो सकते हैं जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बुनियादी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस तारीख की और आगे बढ़ाने से संबंधित किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उड़ान सीखने में असफलता के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन/प्रशासन/सैन्य तंत्र शाखा में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा उल्लिखित गुणात्मक जरूरतों के अध्यधीन होगा (स्नातक 60% अंकों सहित)।

(घ) **शारीरिक मानक :**

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2011 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-V में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क :

(क) ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम किये गए **₹. 100/-** (केवल एक सौ रुपये) फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या बीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, जो **सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई)** के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करेंगे, उन्हें एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क स्टॉम्प द्वारा **₹. 200/-** (केवल दो सौ रुपये) की फीस अदा करनी होगी। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर किंतु दिये गये स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द करने वाली मोहर की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

"केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट" के स्थान पर किसी भी हालत में डाक टिकटें स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि

बैंक ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आई, मनीआई, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-2 : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3 : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को <http://www.upsconline.nic.in> लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के पास आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले **सामान्य आवेदन-प्रपत्र (फार्म-ई)** के माध्यम द्वारा ऑफलाइन आवेदन करने का भी विकल्प है, जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल हैं, नोटिस के **परिशिष्ट-III** में सूचीबद्ध देश भर के **निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 30 रु. (तीस रुपये मात्र) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं**। प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों/डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। **यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है**। उम्मीदवार जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अनाधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, **कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II (ख) में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें**। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। **आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेवार नहीं होगा**। विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र, पावती कार्ड तथा एस.एस.बी. साक्षात्कार पत्र प्राप्त करने के लिए बिना टिकट लगे एवं अपना पता लिखे हुए लिफाफे को तब सूचना विवरणिका के साथ दिए **विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए**। लिफाफा 'परीक्षा नियंत्रक संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड' नई दिल्ली-110069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात **'सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा(II), 2011'** भी लिखना चाहिए। उम्मीदवार नोट करें कि केवल **दूर-दराज के क्षेत्रों से ऑफलाइन आवेदन केवल डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और दस्ती रूप से अथवा कूरियर द्वारा कोई आवेदन प्रपत्र नहीं स्वीकार किया जाएगा।

(ग) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन सिधे आयोग को प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें I तथापि, पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियत या दैनिक वेतन भोगी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द की जा सकती है/उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए होंगे, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा। किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं

किया जाएगा।

उम्मीदवारों को, चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन सिधे आयोग को प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें I तथापि, पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियत या दैनिक वेतन भोगी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द की जा सकती है/उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। **परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात्-लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद **जिसकी दिसम्बर, 2011 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौ सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को उनकी सत्यापित प्रतियाँ सहित तैयार रखें :**

- (1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।
- (2) डिग्री/अन्तिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र है।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिक/हायर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है उन्हें कालेज/संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाण पत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है : जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या

(xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

तो उन पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा
- (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :
 - (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए;
 - (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
- (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

- (1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **06 जून, 2011 रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरुपयोज्य होगा।

(ख) ऑफलाइन
(i) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में रह रहे उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का भी विकल्प है। यदि ऐसे उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनसे केवल डाक द्वारा (डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा) प्राप्त होने वाले ऑफलाइन आवेदन प्रपत्रों को कि उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों से पोस्ट किए गए हों के मामलों में अंतिम तारीख **13 जून, 2011** है।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 13 में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां से वे अपने आवेदन पोस्ट कर रहे हैं, के क्षेत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी : उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से यह नोट कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होने अथवा प्राप्ति में किसी भी कारण से देर होने के लिए आयोग किसी भी हालत में जिम्मेदार नहीं होगा तथा देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

7. ऑफलाइन आवेदन प्रपत्रों की पावती :
उम्मीदवारों से उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को **30 दिनों के भीतर** पावती कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं., नाम तथा परीक्षा का वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रतः सूचित कर दिया जायेगा।

8. आयोग/सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को अनुक्रमांक, केन्द्र तथा पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश दिया गया है को दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रवेश प्रमाण पत्र में उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए।** ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। **यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।** यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे। अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण होना चाहिए।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अनन्तिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा।

(ii) यदि उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, तो वह परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उन प्रवेश प्रमाण पत्रों में से एक ही प्रवेश पत्र का उपयोग करेगा तथा अन्य प्रवेश पत्र को आयोग कार्यालय को लौटा देगा।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्य दूसरे उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र गलत कार्यवाई के कारण पाता है, उस प्रवेश प्रमाण को तत्काल आयोग को अनुरोध के साथ सही प्रवेश प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लौटाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि अन्य दूसरे उम्मीदवार के संबंध में निर्गत किए गए प्रवेश प्रमाण पत्र पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके बदले हुए पते पर मिल जायें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आयोग/सेना मुख्यालय से पत्र-व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण आवश्यक होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. आवेदन रजिस्ट्रेशन आईडी/प्रपत्र संख्या
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान : (1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्योरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्यवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशासित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिये आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिये कि परीक्षा के लिये लिखित भाग के

परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, रिक्लीटिंग सी.डी.एस.ई. एन्ट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक 3, विंग-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को और नौ सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौसेना मुख्यालय, डी.एम.पी.आर (ओ.आई. एण्ड ओर अनुभाग), कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पी.ओ.-3 (ए), वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किये जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशासित हैं तथा जिनकी प्रथम वरीयता सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है, उनको अपने साक्षात्कार के संबंध से सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच रिक्लीटिंग (सी.डी.एस.ई. एन्ट्री), वेस्ट ब्लॉक-3, भूतल, विंग-I, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 और वायु सेना प्रथम वरीयता उम्मीदवारों के लिए पी.ओ. 3 (ए), वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, तथा नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौसेना मुख्यालय, डी.एम.पी.आर (ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग) कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखने चाहिए।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गये सम्मन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा का ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौ सेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए।

विशेष ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु **फरवरी, 2012** के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु **अप्रैल, 2012** के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे सेना मुख्यालय, भर्ती सी.डी.एस.ई.एन्ट्री, (एसएससी महिला एन्ट्री, एसएससी गैर-तकनीकी) वेस्ट ब्लॉक-3, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष सं. 26176028 पर एसएससी गैर-तकनीकी पुरुष के लिये और दूरभाष संख्या 26175473 पर महिला एन्ट्री के लिये संपर्क करना चाहिए। नौसेना/वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौ सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें-III में उल्लिखित है। (**फरवरी, 2012** के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)

(vii) मूल प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण : सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कारों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के बाद शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अपने मूल प्रमाण पत्र (प्रत्येक की दो सत्यापित प्रतियाँ सहित) सेवा चयन बोर्ड/केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे। उन उम्मीदवार को जो डिग्री परीक्षा में बैठ रहे हैं, अपने प्रमाण पत्र **13 मई, 2012** (केवल एस.एस.सी. के मामले में **01 अगस्त, 2012**) तक प्रस्तुत करने होंगे। तत्संबंधी अनुदेश सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर दिए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बाद लौटा दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ अथवा फोटो प्रतियाँ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता

के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान-पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी पाठ्यक्रम) जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

(I) जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।

(II) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सैमिस्टरों के अंक पत्रों सहित बैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षति पूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जायेंगे। लिखित परीक्षा तथा सें.च. बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जायेगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किये जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना/नौसेना विमानन के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट संबंधी अभिरूचि का परीक्षण केवल एक बार किया जाता है, अतः पहले परीक्षण में उसने जो ग्रेड प्राप्त किया है, उसकी वायु सेना चयन बोर्ड के लिये किये जाने वाले बाद के प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो भारतीय नौ सेना चयन बोर्ड/पायलट एटीच्युड बैट्री टेस्ट में पहले अनुत्तीर्ण रहे हैं तथा वे जो प्रायः चश्मा पहनते हैं वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं। उन उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्ड में परीक्षण/साक्षात्कार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं : एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सी.डी.एस.ई./एन.सी.सी./एयरमैन. वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं, उनका वायु सेना चयन बोर्ड में वायु सेना के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। कामन उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएस-बी/पीएवी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने, सी.डी.एस. परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौ सेना/अधिकारी प्रशिक्षण सेवा के लिए ओ.एल.क्यू. परीक्षण के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार आई.एम.ए. (डी.ई.) कोर्स और/या नौ सेना (एसई) कोर्स और/ या वायु सेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एसएससी कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या नहीं उनको फरवरी से अप्रैल, 2012 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस.एस.सी. कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनको अप्रैल से जून, 2012 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायु सेना अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी से प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एन.सी.सी. तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जायेगा। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एन.सी.सी. तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी और भारतीय नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को या महिला उम्मीदवारों को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होती हैं इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जायेगा। अल्पकालिक सेवा कमीशन के पाठ्यक्रम का कोई पुरुष उम्मीदवार :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिये अनुबंध कर लिया हो जिसका पहले से कोई जीवित पति है या

(ख) जिसने पहले से जीवित पत्नी होते हुए भी किसी अन्य से शादी की हो या शादी के लिये अनुबंध कर लिया हो।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश/अल्पकालीन सेवा कमीशन की प्राप्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार, अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं, तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन में छूट दे सकती है।

12. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिये विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**कुलदीप कुमार सहरावत
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग**

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिये दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिये

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किये गये हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियत अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तकाएँ) हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किये जाएंगे।

4. प्रश्न पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : घनपूर्ण, संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं - जोड़, घटना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमलव भिन्न।

एकिक विधि : समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणन खंड/गुणन खंडन प्रमेय/महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारिणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं : साधारण गुणन खंड, शेष फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघ समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणांकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए)। दो अज्ञात राशियों में युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या x, कोटिज्या x, स्पर्श रेखा x जब $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा x का मान जबकि $x=0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ और 90° सरल त्रिकोणमितीय तत्समक त्रिकोणमितीय सारिणियों का प्रयोग, ऊंचाईयों और दूरियों के सरल कोण।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति : निम्नलिखित पर प्रमेय : (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुण धर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज, (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुण धर्म, (8) वृत्त और उनके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल है, (9) स्थानिक संयक।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल, जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती है। (क्षेत्र वही) घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व-पठाय तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज आयत, चित्र शलाका चार्ट, पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जायेगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किये जायेंगे। जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जायेगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधा शक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर यह परीक्षण वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा समसामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II (क)

ऑन लाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को <http://www.upsconline.nic.in> वेबसाइट का उपयोग कर ऑन लाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- ◆ ऑन लाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- ◆ उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- ◆ ऑन लाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम किए गए 100/- रु. के शुल्क (महिला, अ.जा. और अ.ज.जा. उम्मीदवारों जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक

की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टरक्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

- ◆ ऑन लाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ऐसे तरीके से **जेपीजी** प्रारूप में विधिवत रूप से स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो।
- ◆ ऑन लाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 7 मई, 2011 से 6 जून, 2011 रात्रि 11.59 बजे** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य होगा।
- ◆ उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

परिशिष्ट-II (ख)

विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों (पैरा 6 में वर्णित) में रहने वाले उम्मीदवार जो ऑफलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं के लिए सामान्य अनुदेश/मार्ग निर्देश.

सामान्य अनुदेश

- उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध किसी भी विनिर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदी गई सूचना विवरणिका पुस्तिका के साथ दी गई ओएमआर प्रविष्टियों पर आधारित केवल सामान्य प्रपत्र (फार्म-ई) (मूल्य 30 रु.) का ही इस्तेमाल करें। उम्मीदवार किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छाया प्रति/प्रतिलिपि/अनधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग न करें। आयोग कार्यालय द्वारा प्रपत्र की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र अपने हस्तलेख में ही भरना चाहिए। चूंकि, इस आवेदन प्रपत्र की जांच कंप्यूटर मशीन द्वारा की जाएगी, उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र को संभालने और उसे भरने में पर्याप्त ध्यान दें। वृत्तों को काला करने के लिए वे केवल काले बाल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें। लिखने के लिए भी उन्हें काला बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
चूंकि कंप्यूटरीकृत मशीनों पर आवेदन प्रपत्रों की जांच करते समय उम्मीदवार द्वारा वृत्तों को काला करके की गई प्रविष्टियों पर ही ध्यान दिया जाएगा, इसलिए अपनी प्रविष्टियां काफी सावधानी से और सटीक रूप में भरनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची आदि और आयोग के साथ सभी पत्राचार, में किए गए हस्ताक्षर समरूप हों और उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता न हो। यदि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवार द्वारा अनुबद्ध किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- मूल आवेदन प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन प्रपत्र अंतिम तारीख को या उससे पूर्व आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं। अंतिम तारीख के बाद आयोग कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय, अपने परीक्षा केंद्र के चयन का निर्णय सावधानीपूर्वक करें।
- उम्मीदवारों को चाहिए कि वे पावती कार्ड पर अपना आवेदन प्रपत्र सं. और परीक्षा का नाम अर्थात् "सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2011" लिखें। उन्हें पावती कार्ड पर साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में अपने पत्राचार का पता लिखना चाहिए और कार्ड पर 6/- रु. का डाक टिकट चिपकाना चाहिए। पावती कार्ड को आवेदन प्रपत्र के साथ स्टेपल या आलपिन लगाकर नत्थी न करें या प्रपत्र के साथ न चिपकाएं।

पात्रता की शर्तें (संक्षेप में)

(क) आयु-सीमाएं, लिंग एवं वैवाहिक स्थिति :

- भारतीय सैनिक अकादमी के लिए : अविवाहित पुरुष उम्मीदवार, जिनका जन्म 2 जुलाई, 1988 से पहले और पहली जुलाई, 1993 के बाद का न हुआ हो, ही पात्र हैं।
- भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : अविवाहित पुरुष उम्मीदवार, जिनका जन्म 2 जुलाई, 1990 (एन. सी.सी. नौसेना स्कंध सी प्रमाण पत्र धारकों के मामले में 2 जुलाई, 1988) और पहली जुलाई, 1993 के बाद का न हुआ हो, ही पात्र हैं।
- वायु सेना अकादमी के लिए : अविवाहित पुरुष उम्मीदवार, जिनका जन्म 2 जुलाई, 1989 से पहले और पहली जुलाई 1993 के बाद न हुआ हो, ही पात्र हैं।
- अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : (पुरुषों के लिए एसएससी पाठ्यक्रम) पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) जिनका जन्म 2 जुलाई, 1987 से पहले और पहली जुलाई 1993 के बाद न हुआ हो, ही पात्र हैं।
- अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : एसएससी (महिला गैर तकनीकी पाठ्यक्रम) अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है और संतानहीन तलाकशुदा महिलाएं (तलाक प्रलेख सहित) जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ हो, पात्र हैं। उनका जन्म 2 जुलाई, 1987 से पहले और पहली जुलाई 1993 के बाद न हुआ हो।

(ख) शैक्षिक योग्यताएं :

- भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष।
- भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : इंजीनियरी में डिग्री।
- वायु सेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर पर गणित और भौतिकी विषयों के साथ) या इंजीनियरी स्नातक।

(ग) शुल्क :

200/- रु. (केवल दो सौ रु.)

(महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं।)

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) 2011 के आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

महत्वपूर्ण : इस प्रपत्र को भरने के लिए केवल काले बॉल पेन का प्रयोग किया जाए।

आवेदन पत्र का पृष्ठ 1

कॉलम 1 : परीक्षा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है (यदि पात्र हैं)।

परीक्षा का नाम **सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II)** के रूप में (केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) लिखें।

परीक्षा का वर्ष **2011** के रूप में लिखें

परीक्षा कोड के रूप में 09 वृत्तों को काला करें

कॉलम 2 : उम्मीदवार का नाम

इस कॉलम को भरने के लिए, बॉक्सों में पहले अपना पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ठीक वैसे ही लिखें, जैसे आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है। एक बॉक्स में एक

ही अक्षर लिखें। नाम के किन्हीं दो हिस्सों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ें। तत्पश्चात्, प्रत्येक अक्षर के नीचे के संबंधित वृत्त को काला करें। खाली बॉक्स के नीचे वाले वृत्त को काला न करें। अपने नाम से पहले किस भी उपसर्ग जैसे श्री, कुमारी, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें।

कॉलम 3 : जन्म की तारीख

अपने मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म के दिन, महीने और वर्ष के अंतिम दो अंकों के लिए उचित वृत्त को काला करें।

कॉलम 4 : लिंग

अपने लिए लागू उचित वृत्त को काला करें।

कॉलम 5 : राष्ट्रीयता

अपने लिए लागू उचित वृत्त को काला करें।

कॉलम 6 : वैवाहिक स्थिति

अपने लिए लागू उचित वृत्त को काला करें।

कॉलम 7 : केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए देय शुल्क रु. 200/- (केवल दो सौ रूपए) है। महिला/ अ.जा./अ.ज.जा. /उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

शुल्क केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के माध्यम से देय है। (डाक टिकट से नहीं)। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है। डाकघर से उचित मूल्य वर्ग का केवल एक ही के.भ.शु. टिकट प्राप्त कर उसे बॉक्स में अच्छी तरह से चिपका दें। के.भ.शु. टिकट प्रपत्र पर चिपकाने के बाद उसे उसी डाकघर से, जहां से खरीदा गया था, यथा-स्थान निरस्त करवा लें। के.भ.शु. टिकट को स्टेपल न करें।

कॉलम 8 : पिता का नाम

अपने पिता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) लिखें। प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें। नाम के किन्हीं दो हिस्सों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ें। नाम से पहले किसी भी उपसर्ग जैसे श्री, डॉ. इत्यादि प्रयोग न करें।

कॉलम 9 : माता का नाम

अपनी माता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) लिखें। प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें। नाम के किन्हीं दो हिस्सों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ें। नाम से पहले किसी भी उपसर्ग जैसे श्रीमती डॉ. इत्यादि प्रयोग न करें।

कॉलम 10 : परीक्षा केंद्र कोड

नीचे दी गई सूची में से उस परीक्षा केंद्र कोड को चुनें, जहां आप **सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) 2011** में उपस्थित होना चाहते हैं और तत्पश्चात् उपयुक्त वृत्तों को काला करें।

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) के केंद्रों की सूची तथा उनके कोड

केंद्र	कोड	केंद्र	कोड	केंद्र	कोड
अगरतला	45	गंगटोक	42	पणजी (गोवा)	36
अहमदाबाद	01	हैदराबाद	10	पटना	15
आइजोल	47	इम्फाल	44	पोर्ट ब्लेयर	37
इलाहाबाद	02	ईटानगर	48	रायपुर	49
बंगलौर	03	जयपुर	11	रांची	41
बरेली	54	जम्मू	34	संबलपुर	53
भोपाल	04	जोरहाट	46	शिलांग	16
चंडीगढ़	35	कोच्चि	24	शिमला	17
चेन्नई	12	कोहिमा	43	श्रीनगर	18
कटक	07	कोलकाता	06	तिरुवनन्तपुरम	19
देहरादून	14	लखनऊ	26	तिरुपति	50
दिल्ली	08	मदुरै	40	उदयपुर	52
धारवाड़	39	मुम्बई	05	विशाखापट्टनम	51
दिसपुर	09	नागपुर	13		

कॉलम-11 : शैक्षिक योग्यता कोड

नीचे दिए गए सही शैक्षिक योग्यता कोड का चयन करें और उसके बाद अपने लिए लागू उपयुक्त वृत्तों को काला करें।

कोड शैक्षिक योग्यता

- डिग्री या समकक्ष परीक्षा (10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित विषयों के साथ) का अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर चुके/की परीक्षा दे चुके/देने वाले।
- इंजीनियरी की डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके/दे चुके/देने वाले।
- डिग्री या अन्य विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा (अर्थात् ऊपर 01 और 02 के सामने उल्लिखित के अतिरिक्त) के अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके/दे चुके/देने वाले।

कॉलम 12 : आयु में छूट संबंधी कोड

चूंकि **सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा** में किसी भी श्रेणी के लिए आयु में छूट का प्रावधान नहीं है, यह कॉलम खाली छोड़ दें।

कॉलम 13 : सुदूर क्षेत्र कोड

यदि आप अपना आवेदन-पत्र किसी सुदूर क्षेत्र से भेज रहे हैं, तो नीचे दी गई तालिका से संगत कोड का चयन करें और उपयुक्त वृत्तों को काला करें।

सुदूर क्षेत्रों के लिए एरिया कोड

क्षेत्र	कोड	क्षेत्र	कोड
असम	01	जम्मू व कश्मीर	09
मेघालय	02	हिमाचल प्रदेश का लाहौल	
अरुणाचल प्रदेश	03	और स्पीति जिला तथा चंबा	
मिज़ोरम	04	जिले का पांगी उपमंडल	10
मणिपुर	05	अंडमान एवं निकोबार	
नागालैंड	06	द्वीपसमूह	11
त्रिपुरा	07	लक्षद्वीप	12
सिक्किम	08		

कृपया ध्यान दें : परीक्षा के 'नोटिस' में यथा निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्र से आवेदन पोस्ट कर रहे उम्मीदवारों को, डाक द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

कॉलम 14 : शुल्क

यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा किया है तो संगत मूल्यवर्ग के सामने के वृत्त को काला करें; अथवा यदि आपने शुल्क अदा नहीं किया है और अजा/अजजा के आधार पर शुल्क में छूट लेने का दावा कर रहे हैं, तो "शुल्क से छूट" के सामने के वृत्त को काला करें।

कृपया ध्यान दें : शुल्क, कॉलम 7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में ही देय है।

कॉलम 15 : समुदाय

आप जिस समुदाय वर्ग से संबंधित हैं, उसके सामने के उचित वृत्त को काला करें।

नोट : जो अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित नहीं हैं वे सामान्य के सामने के वृत्त को काला करें और इसे खाली नहीं छोड़ें।

कॉलम 16 : अल्पसंख्यक संबंधी स्थिति

यदि आप किसी विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यकों (मुस्लिम/ईसाई/सिक्ख/बौद्ध/पारसी) के हैं, तो अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें।

कॉलम 17 : शारीरिक रूप से विकलांग

चूंकि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं, इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा यह कॉलम नहीं भरा जाना है। अतः वे इस कॉलम को खाली छोड़ दें।

कॉलम 18 : पता

अपना पूरा डाक का पता, जिसमें आपका नाम, अंग्रेजी के बड़े स्पष्ट तथा पठनीय अक्षरों में हो, इस प्रयोजन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें। दिए गए बॉक्स में पिन कोड भी लिखें। केवल काले बेल पेन से ही लिखें। बॉक्स के बाहर न लिखें।

कॉलम 19 : फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

अपना हाल ही का 3.5 सेंमी. x 4.5 सेंमी. आकार का फोटोग्राफ, जिस पर आपका नाम एवं जन्म तिथि मुद्रित हो, को निर्धारित स्थान पर अच्छी प्रकार से चिपकाएं। फोटो स्टेपल न करें। फोटो पर न तो आपके हस्ताक्षर हों और न ही इसे सत्यापित कराया गया हो। साथ ही अपने हस्ताक्षर काले बॉल पेन से फोटोग्राफ के लिए निर्धारित स्थान के नीचे दिए बॉक्स में करें।

आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ - 2**कॉलम 20 से 26 :**

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को इनमें से कोई भी कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्हें इन कॉलमों को खाली छोड़ देना चाहिए।

कॉलम 27 : सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा**(i) वरीयता [नोटिस में दिए गए अनुदेशों को देखें.]**

अपनी वरीयता की सेवाओं के विकल्प को चुनने के लिए उपयुक्त वृत्तों को काला करें। उदाहरण के लिए, यदि नौसेना अकादमी आपकी प्रथम वरीयता है तो नौसेना अकादमी के नीचे 1 नं. वृत्त को काला करें।

इसी प्रकार, यदि भारतीय सैनिक अकादमी आपकी दूसरी वरीयता है, तो सैनिक अकादमी के नीचे 2 नं. वृत्त को काला करें। **महिला उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के नीचे दिए गए 1 नं. वृत्त को ही काला करें।**

(ii) क्या एन.सी.सी. प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन धारक हैं/करने की संभावना है?

यदि आपके पास विनिर्धारित तारीख (अर्थात् 13 मई 2012) तक एन.सी.सी. प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन प्राप्त है/करने की संभावना है, तो आपके मामले में यथा लागू (सेना/नौसेना/वायु सेना) उपयुक्त वृत्त को काला करें।

यदि आपके पास विनिर्धारित तारीख तक एन.सी.सी. प्रमाण पत्र सीनियर डिवीजन प्राप्त नहीं है/करने की संभावना नहीं है, तो "कोई नहीं" के सामने दिए गए वृत्त को काला करें।

(iii) क्या सशस्त्र सेना में सेवारत हैं?

यदि आप सशस्त्र सेना में सेवारत हैं तो "हां" के सामने के वृत्त को काला करें या

यदि आप सशस्त्र सेना में सेवारत नहीं हैं तो "नहीं" के सामने के वृत्त को काला करें।

कॉलम 28 : घोषणा

हस्ताक्षर करने से पहले उम्मीदवार घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

कॉलम 29 :

अपना नाम दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें।

कॉलम 30 : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिए गए बॉक्स के भीतर अपने सामान्य हस्ताक्षर काले बॉल पेन से करें। आपके हस्ताक्षर न तो दिए गए बॉक्स से बाहर जाएं और न उसकी सीमा को छुएं। **हस्ताक्षर के स्थान पर केवल बड़े अक्षरों में अपना नाम न लिखें।** अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

स्थान तथा आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने की तारीख भी इस उद्देश्य हेतु दिए गये स्थान पर लिखें।

कॉलम 31 :

एसटीडी कोड सहित अपना टेलीफोन नं. दिए गए बॉक्स में लिखें।

कॉलम 32 :

दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नं. लिखें।

कॉलम 33 :

दिए गए बॉक्स में अपना ई-मेल आईडी भी लिखें।

आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले निम्नलिखित की जांच कर लें कि

1. आपने केवल निर्दिष्ट प्रधान डाकघरों/डाकघरों से खरीदे गए तीस रुपये मूल्य के संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए सामान्य (कॉमन) आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) का ही प्रयोग किया है।
2. आपने आवेदन प्रपत्र के सभी संगत कॉलमों के उपयुक्त गोलों को काला करके भर दिया है।
3. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 में अपना हाल ही का फोटोग्राफ (अहस्ताक्षरित एवं असत्यापित) जिस पर आपका नाम एवं जन्मतिथि मुद्रित है, चिपका दिया है।
4. यदि आपके द्वारा शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है, तो क्या आपने अपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 7 में अपेक्षित मूल्य वर्ग का केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट चिपकाया है तथा इसे जारी करने वाले डाकघर द्वारा रद्द करवाया है।
5. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 के नीचे दिए गए बॉक्स में और कॉलम 30 में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
6. आपने पावती-कार्ड भर दिया है अर्थात् अपनी आवेदन-प्रपत्र संख्या लिख दी है और अपना पता साफ-साफ लिख दिया है।
7. आपने पावती कार्ड पर 6/- रु. (केवल छः रुपये) का डाक टिकट चिपका दिया है।
8. सूचना पुस्तिका के साथ आपको दिए लिफाफे में केवल एक आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड भेजा जा रहा है तथा इसके साथ अन्य कोई संलग्नक नहीं है।
9. आपने आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड भेजने वाले लिफाफे पर परीक्षा का नाम अर्थात् "सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) 2011" लिख दिया है।

परिशिष्ट-III**मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन पत्र उपलब्ध है**

आंध्रप्रदेश मंडल : हैदराबाद जी.पी.ओ., हैदराबाद जुबली, काचिगुडा स्टेशन, खैराताबाद, सिकन्दराबाद, त्रिमूलगेरी, आदिलाबाद, अनन्तपुर, अरुंडेलपेट (गुंटूर), चित्तूर, कुड्डापा, एलूरू, काकीनाडा, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मछलीपटनम, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, आंगोल, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विजयवाडा, विकाराबाद, विशाखापटनम, वारांगल।

असम मंडल : गुवाहाटी, बरपेटा, धुबरी, डिब्रुगढ़, डिफू, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, मंगलदोई, नगांव, नलबारी, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया।

बिहार मंडल : पटना जी.पी.ओ., बांकीपुर, आरा, औरंगाबाद, बी. देवघर, बोकारो स्टील सिटी, बांका, बट्टियां, बेगुसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, चाईबासा, छपरा, डालटेनगंज, दरभंगा, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, गोपालगंज, गुमला, हाजीपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णिया, रांची, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान।

दिल्ली मंडल : दिल्ली जी.पी.ओ., नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, रमेशनगर, सरोजिनी नगर, लोधी रोड, कृष्णा नगर, अशोक विहार, संसद मार्ग, यू.पी.एस.सी. डाकघर।

गुजरात मंडल : गांधीनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनन्द, भरूच, भावनगर, भुज, दहोड, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहेसाना, नवरंगपुर, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, रेबड़ी बाजार, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाड, वडोदरा।

हरियाणा मंडल : अम्बाला जी.पी.ओ., अम्बाला सिटी, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जीन्द, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत।

हिमाचल प्रदेश मंडल : शिमला, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, केलांग, कुल्लू, मंडी, नाहन, रिवांग पो, सोलन, ऊना।

जम्मू एवं कश्मीर मंडल : श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, जम्मू, कठुआ, लेह, राजौरी, ऊधमपुर, गांधी नगर मुख्यालय, जानीपुर, जम्मू कैंट, सांबा।

कर्नाटक मंडल : बंगलौर जी.पी.ओ., बंगलौर सिटी, बासावनगुडी, हाल 11 स्ट्रेज, जयनगर, आर.टी. नगर, बगलकोट, रायचूर, राजाजीनगर, वेलगांव, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चित्रदुर्गा, दावेनगेर, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, हुबली, कारवार, कोलार, मदीकेरे, मानड्या, मंगलौर, मनीपाल, मैसूर, नानजागुड, शिमोगा, सिरसी, तुमकूर, उडूपी।

केरल मंडल : त्रिवेन्द्रम, अल्लिप्पे (अलाप्पुझा), कालीकट, कन्नानोर, एर्नाकुलम, कालपेट्टा, कासरगोड, कट्टप्पना, कोट्टायम, मलप्पुरम, पालघाट, पाथनमथीट्टा, क्विलोन, त्रिचूर, कावारत्ती (लक्षद्वीप)।

मध्य प्रदेश मंडल : भोपाल जी.पी.ओ., बिलासपुर, अम्बिकापुर, बालाघाट, बैतूल, भिन्ड, छतरपुर, छिन्दवारा, दामोह, देवास, धाड़, दुर्ग, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, झाबुआ, खण्डवा, खारगोन, लश्कर, मंडला, मंडसौर, मुँरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़ (बिओरा), राजनंदगांव, रतलाम, रीवा, सागर छावनी, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा।

महाराष्ट्र मंडल : मुम्बई जी.पी.ओ., मुम्बई मध्य, अंधेरी, बोरीवली, चेम्बूर, चिनेहबन्दर, दादर, गिरगांव, कालवादेवी, माहीम, मानडवी, अहमदनगर, अकोला, अलीबाग, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भन्डारा, बुलधाना, चन्द्रपुर, धूले, जलगांव, जालना, कराड, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर जी.पी.ओ., नानदेड, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सावंतवाडी, सोलापुर, थाणे, वर्धा, यवतमाल, मरगांव (गोवा), पणजी (गोवा)।

उत्तर-पूर्व मंडल : अगरतला, ऐजल, धर्मनगर, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, राधाकिशोरपुर, शिलांग, तुरा।

उड़ीसा मंडल : भुवनेश्वर जी.पी.ओ., अंगुल, बोलंगीर, बालासोर, बारगढ़, बारीपदा, बरहामपुर, भद्रक, भवानीपटना, कटक जी.पी.ओ., धंकाणाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, जयपुर (के), झारसुगुडा, केंद्रापारा, केंचोझारगढ़, कोरापुट, नयागढ़, परलाखेमुंडी, फूलबनी, पुरी, रायगाडा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़।

पंजाब मंडल : अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुग्गासपुर, होशियारपुर, जलन्धर सिटी, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर, चन्डीगढ़।

राजस्थान मंडल : जयपुर जी.पी.ओ., जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, झुंझुनार, हनुमानगढ़, हिन्दौन, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कन्नकोली, कोटा, नागौर, पाली मारवाड़, सवाईमाधोपुर, शास्त्री मंडल उदयपुर, सीकर, सिरौही, श्रीगंगानगर, टोंक।

तमिलनाडु मंडल : चेन्नई जी.पी.ओ., अन्ना रोड, संत थॉमस माउन्ट, टी. नगर, बोडिनायाकनूर, चेन्नलपट्टु, चिदाम्बरम, कोयमबटूर, कुड्डालोर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कारूर, मद्रै, नागपट्टीनम, नागरकोईल, नामाक्कल, पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सालेम, शिवगंगई, ताम्बरम, थन्जावूर, थिरुवन्नामलाई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुवल्लूर, तिरुवायूर, तुराईयूर, तूतीकोरीन, उधमगंडलम, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, पुडुचेरी।

उत्तर प्रदेश मंडल : लखनऊ, लखनऊ चौक, आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, इलाहाबाद कचहरी, अलमोड़ा, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बंसी, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुदौन, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, धामपुर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोपेश्वर, गोरखपुर, हलद्वानी, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खेरी, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, ओराई, पौरी, पडरौना, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामपुर, रूडकी, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी, उन्नाव, वाराणसी।

पश्चिम बंगाल मंडल : कोलकाता जी.पी.ओ., अलीपुर, बड़ाबाजार, बेलियाघाट, बेलघरिया, कासीपुर, पार्क स्ट्रीट, टालीगंज, बालूरघाट, बांकुड़ा, बारासत, बहरामपुर, वर्धमान, चिन्सुरा, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हावड़ा, जलपाईगुडी, कृष्णनगर, मालदा, मिदनापुर, पुरुलिया, सूरी, सिलिगुडी, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह), गंगटोक (सिक्किम)।

1. सेंट्रल वेस डाकघर (सी.वी.पी.ओ.) 56 ए.पी.ओ.
2. सी.वी.पी.ओ. (99 ए.पी.ओ.) द्वारा चुनिंदा फील्ड डाकघर

परिशिष्ट-IV

वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म की एच.बी.पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर तथा नीली या काली स्याही वाला एक पेन उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षा पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा

- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केंद्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक स्याही अथवा बाल प्वाइंट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक (पेंसिल से) कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) अनुक्रमांक लिखते समय उम्मीदवार और निरीक्षक को सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमूर्तित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा। अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल एचबी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले या नीले कलम का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

“वस्तुपरक” परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और

(डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को एचबी पेंसिल से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है। उत्तर पत्रक पर वृत्त को काला करने के लिए स्याही का प्रयोग न करें।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार पेंसिल से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) ● (c) (d)

यदि निशान गलत लग गया है तो उसे अच्छी तरह से मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगाएं।

11. उपस्थिति सूची पर हस्ताक्षर :

आपको दिए गए उत्तर पत्रक और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला उपस्थिति सूची में लिखनी आवश्यक है और अपने नाम के सामने उपयुक्त कालम में हस्ताक्षर करने हैं। उपयुक्त विवरणों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को उम्मीदवार द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षाओं के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तियों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

स्याही से लिखें

Centre	Subject	S. Code	Roll Number
केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक

मान लो यदि आप अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केंद्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको स्याही या बाल प्वाइंट पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

Centre	Subject	S. Code	Roll Number
केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक

दिल्ली अंग्रेजी (ए)

आप केंद्र का नाम अंग्रेजी* या हिन्दी में स्याही या बाल प्वाइंट पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप स्याही से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूँढें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य एच.बी. पेंसिल से करें। केंद्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।

‘ए’ परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के अंग्रेजी प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है। इसे इस प्रकार लिखें।

Booklet Series (A)

पुस्तिका क्रम (ए)

●

B

○

○

○

○

○

○

○

○

Subject

विषय

0 1

0 1

● ○

① ●

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ ⑧

⑨ ⑨

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है। यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसे पूरी तरह मिटाकर पुनः ठीक से भरें।

Hall Number
अनुक्रमांक

0	8	1	2	7	6
---	---	---	---	---	---

●	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

*यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट-V

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा निर्देश

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता संबंधी मानक और तत्संबंधी दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं बहुत से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

1. सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। महिला उम्मीदवारों का पुरुष/महिला चिकित्सकों/विशेषज्ञों/स्त्री रोग विशेषज्ञों से गठित एक चिकित्सक बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। एक महिला चिकित्सक बोर्ड की सदस्या होगी। अकादमी या प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं तथापि, जो उम्मीदवार अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किए जाएंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा और अपील मेडिकल बोर्ड को अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया भी उम्मीदवार को सूचित की जाएगी।

अनुपयुक्त/अयोग्य उम्मीदवार अपील मेडिकल बोर्ड (ए.एम.बी.) को आवेदन कर सकते हैं जिसे सेवा मेडिकल बोर्ड (एस.एम.बी.) के 42 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाना है तथा वे अपील मेडिकल बोर्ड के एक दिन पूरा होने के भीतर ही रिब्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ए.एम.बी. द्वारा अयोग्य घोषित किए उम्मीदवारों को ए.एम.बी. की जांच परिणाम को चुनौती देने की प्रक्रिया के संबंध में ए.एम.बी. अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा कि पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड (आर.एम.बी.) का आयोजन, मामले के गुणावगुण के आधार पर डी.जी.ए.एफ.एम.एस. के विवेक से स्वीकृत किया जाएगा तथा पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का आयोजन अधिकार का विषय नहीं है। यदि अभ्यर्थी आर.एम.बी. में प्रार्थना करना चाहता है, तो उसे ए.डी.जी.आर. टी.जी. (सी.डी.एम.ई.) आर्मी हेड-क्वा., वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को संबोधित करना चाहिए तथा इसकी एक प्रति ए.एम.बी. अध्यक्ष को हस्तान्तरित करनी चाहिये। डी.जी.ए. एफ.एम.एस. का ऑफिस तिथि एवं स्थान (केवल दिल्ली एवं पुणे), जहां अभ्यर्थी आर.एम.बी. अध्यक्ष को हस्तान्तरित करनी चाहिये। डी.जी.ए.एफ.एम.एस. का ऑफिस तिथि एवं स्थान (केवल दिल्ली एवं पुणे), जहां अभ्यर्थी आर.एम.बी. के लिए प्रस्तुत होगा, को सूचित करेगा। उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है।

(क) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए।

(ग) पुरुषों के लिए कद कम से कम 157.5 सेमी. (नौ सेना के लिए 157 सेमी तथा वायु सेना के लिए 162.5 सेमी) का हो। महिलाओं के लिए कद कम से कम 152 सेमी हो गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूँ के व्यक्तियों का 5 सेमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। यह छूट नौ सेना और वायु सेना के मामले में लागू नहीं होगी। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं :

सैंटीमीटरों में कद (बिना जूता)	कद और वजन के मानक (पुरुष)		
	वजन किलोग्राम में 18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
152	44*	46	47
155	46	48@	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	52
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	60	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

* नौ सेना के लिए 45
@ नौ सेना के लिए 47
उपयुक्त सारणी में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए) वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले देहवृष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।
वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य वजन ऊपर दिए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत होगा।

सैंटीमीटरों में कद (बिना जूता)	कद और वजन के मानक (महिलाएं)		
	वजन किलोग्राम में 20 वर्ष	25 वर्ष	30 वर्ष
148	39	41	43
150	40	42	43.5
153	42	43.5	45
155	43	44	46
158	45	46	48
160	46	47	49
163	47	49	51
165	49	51	53
168	50	52	54

(घ) आपके अपने हित में आपको यह सलाह दी जाती है कि सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने से पहले आप कान की मेल, आंखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जांच करवा लें।

(ङ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का उपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(च) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।

(छ) उम्मीदवार के सम्बंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्वव्रत नही होना चाहिए।

(ज) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सकें। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 से.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सकें। कर्ण नासिका और कंठ की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो।

(झ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो और उम्मीदवार AIDS मुक्त हो।

(ञ) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो। उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ट) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अयोग्य होगा। यदि हर्निया की शल्य-चिकित्सा हो गई

हो तो वह वर्तमान परीक्षा से कम से कम एक वर्ष पहले हुई हो जिसका जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका हो।

(ठ) हाइड्रोसिल, बेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(ड) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(ढ) चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना है तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(ण) पुरुष उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित या ऐनक रहित (नौसेना तथा वायु सेना के लिए केवल ऐनक रहित) दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। मायोपिया 3.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए तथा हाइपरमेट्रोपिया एस्टिगमेटिज्म सहित 3.5 डी, से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम स्वीकृत दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता है : दूर दृष्टि (संशोधित) स्वस्थ आंख के लिये 6/6, खराब आंख के लिये 6/18 मायोपिया, एस्टोपिजेशन सहित, - 5.5 से अधिक नहीं हो। यह जानने के लिये कि आंख में कोई रोग तो नहीं है, आंख की आंतरिक जांच दृष्टिपटलदर्शी (औपथलमेस्कोप) से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। थलसेना के लिए वर्ण दृष्टि मानक सीपी-III होगा। नौ सेना की कार्यकारी शाखा के लिए यह सीपी-I होगा, तथा शेष के लिए सीपी-II होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिये।

(त) नौसेना के लिए दृष्टि मानक
(क) बिना चश्मे के असंशोधित 6/12
(ख) चश्मे के साथ संशोधित 6/6
(ग) निकट दृष्टि की सीमा 35
(घ) दूरदृष्टि की सीमा +2.5
(ङ) दूरबीन दृष्टि III
(च) वर्ण बोध की सीमा I
(थ) महिला उम्मीदवारों के एसएसबी में चयन के पश्चात या प्रशिक्षण के दौरान, यदि किसी भी स्तर पर गर्भावस्था पाई जाती है, तो उन्हें कमीशन की मंजूरी से वर्जित कर दिया जायेगा तथा ओ.टी.ए. में सम्मिलित होने की तारीख से सेना चिकित्सालय प्राधिकारियों द्वारा गर्भावस्था की पुष्टि होने पर वर्जन की तारीख तक किये गये खर्च की वसूली की जायेगी।

रेडियल केरोटोमी तथा लेसर सर्जरी : जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केराटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा, उन्हें स्थायी तौर पर तीनों सेवाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पीआरके/लेसिक का पता लगाने के लिए सेवा मेडिकल बोर्ड में ए-स्कैन बायोमीटर द्वारा सभी उम्मीदवारों की अक्षीय लम्बाई मापी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अपवर्तन दोष (रिफरेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसर सर्जरी करवाई हुई है यदि वे निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हैं तो ही सेना में कमीशन के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

(i) यदि आयु 20 वर्ष से अधिक हो।
(ii) प्रक्रिया के पश्चात् छह महीने की अवधि के लिए स्थायी अपवर्तन सहित मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए की गई सरल स्थिर लेसिक (एलएएसआईके)/एक्सआईमर (पीआरके) लेसर प्रक्रिया।
(iii) एक स्वस्थ रेटिना
(iv) मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए किसी भी मेरिडियन में ± 1.50 अधिकतम अवशेष अपवर्तन सहित अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की सही दृष्टि होनी चाहिए।
(v) अनुमत सीमा के अंदर अक्षीय लम्बाई।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के दौरान यह घोषणा करने को कहा जाएगा कि उसने उपर्युक्त लेसर प्रक्रिया करवाई है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके रेटिना/कोर्निया का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। यद्यपि, सेवा मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तथापि जो उम्मीदवार उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमाओं में पाए जाते हैं, उन्हें

अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसके कोर्निया तथा रेटिना का संपूर्ण मूल्यांकन तथा नेत्र विज्ञान में वरिष्ठ सलाहकार द्वारा रिकार्ड की जांच की जाएगी।

(द) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं। उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(ध) छाती का एक्स-रे परीक्षा में ग्रेव प्रशुका की उपस्थिति हेतु ग्रेव मेरुदण्ड के निचले भाग की परीक्षा भी शामिल होगी। सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझने पर मेरुदण्ड के अन्य भागों की एक्स-रे परीक्षा की जाएगी।

(न) कोहनी की उठान का कोण पुरुषों एवं महिलाओं के लिए क्रमशः 15° एवं 18° से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. केवल वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त के साथ निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होंगे।
(क) वायु सेना के लिए स्वीकार्य मानव देह संबंधी माप निम्न प्रकार है :

कद : 162.5 से.मी.
टांग की लंबाई : कम से कम 99 सेंमी और अधिक से अधिक 120 सेंमी
अरु की लंबाई : अधिक से अधिक 64 सेंमी
बैठ कर ऊंचाई : कम से कम 81.5 सेंमी और अधिक से अधिक 96 सेंमी
(ख) छाती का एकर-रे जरूरी है।

(ग) दृष्टि
(i) दूर दृष्टि 6/6, एक आंख में तथा 6/6 तक सुधार योग्य 6/9

पास की दृष्टि प्रत्येक आंख की एन 5
वर्ण दृष्टि सी.पी.-I (एमएलटी)
(ii) मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया+2.00 डीसीवाईएल "मायोपिया शून्य" और +0.75 डीसीवाईएल से अधिक न हो

(घ) नेत्र पेशी संतुलन
(ङ) मेडोक्स रोड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्नलिखित से अधिक न हो :

(i) 6 मीटर पर एक्सोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
एसोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाईपोफोरिया/ 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाईपरफोरिया 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
(ii) 33 मीटर पर एक्सोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
एसोफोरिया 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाईपोफोरिया/ 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाईपरफोरिया 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस

द्विनेत्री दृष्टि-अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है। फ्यूजन तथा स्टेरियोपसिस तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता।

(ड) मानक
(i) वाक परीक्षण : प्रत्येक कान से 610 सेमी से कानाफूसी सुनाई दे।
(ii) श्रव्यतामिक्तिक : 250 एच.जैड तथा 4000 एच जैड के बीच की आवर्तियों में व्यथ्रमत कमी 20 डीबी से अधिक न हो।

(च) रुटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में हो।
3. एक्स-रे जांच के उपरांत निम्नलिखित स्थितियों का पाया जाना सशस्त्र सेना में प्रवेश के लिए अपात्रता होगा :

(क) मेरुदण्ड का कणिकागुल्मीय रोग
(ख) आर्थराइटिस/स्पोंडिलोसिस
(ग) कॉब पद्धति से मापा गया 15 डिग्री से अधिक स्कोलिओसिस (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
(घ) मंद से अपेक्षाकृत अधिक कायफोसिस/ लाडॉसिस।
(ङ) स्पोंडिलोसिथैसिस/स्पोंडिलोसिस
(च) हर्निएटिड न्यूकलिय पलपोसिस
(छ) कशेरुका का सम्पीडन अस्थिभंग
(ज) सेक्रेलाइजेशन रोग
(झ) प्रदर्शनीय तंत्रिकीय या परिसंचरणीय अभाव

के साथ ग्रेव पर्सुका.

- (ज) पद से अधिक स्तर पर स्कलमोल नोड की उपस्थिति
- (ट) शीर्ष घरानुकपाल (एंटलांटो-आकसीपोटल) तथा एटलांटो अक्षीय असंगतियां
- (ठ) अपूर्ण सेक्रेलाइजेशन एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय
- (ड) एसवी 1 तथा एलवी 5 से इतर स्वार्नावाइफिडा
- (ढ) विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य असामान्यता.
4. नौ सैनिक विमानन शाखा के उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक वही होंगे जो वायु सेना के उड़ान ड्यूटी हेतु उम्मीदवार हैं.
5. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किये जाने के दौरान यदि किसी अक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनर्हक ठहराए जाने की स्थिति में वह अक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा (सेवाओं) के लिए भी अयोग्य ठहरा सकती है.
6. **शारीरिक अवस्था :** संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधो-उल्लिखित दिनचर्या का पालन करके स्वयं को अच्छी शारीरिक अवस्था में रखें :
- (क) धावन/दौड़ : 15 मिनट में 2 से 4 कि.मी.
- (ख) रस्सी-कूद :
- (ग) पुश-अप एवं : प्रत्येक न्यूनतम 20 सिट अप
- (घ) चिन-अप : न्यूनतम 08
- (ड) रस्सी पर : 3 से 4 मीटर चढ़ना/आरोहण

परिशिष्ट-VI

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैं. थल सेना अधिकारी व नौ सेना और वायु सेना के समकक्ष रैंक के लिए वेतनमान :

(क) रैंक	पे बैंड (रु.)
लेफ्टिनेंट से मेजर	रु. 15,600-39,100 (पे बैंड-3)
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	रु. 37,400-67,000 (पे बैंड-4)
लेफ्टिनेंट जनरल	
एचएजी मान	67,000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @3%)-79,000
एचएजी+मान*	75,500-(वार्षिक वेतनवृद्धि @3%)-80,000
(*लेफ्टिनेंट जनरल के कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी.)	
वीसीओएस/सेना कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	80,000 (नियत)
सीओएस	90,000 (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :

लेफ्टिनेंट	5,400/- रु.
कैप्टेन	6,100/- रु.
मेजर	6,600/- रु.
लेफ्टिनेंट कर्नल	8,000/- रु.
कर्नल	8,700/- रु.
ब्रिगेडियर	8,900/- रु.
मेजर जनरल	10,000/- रु.

एवीएस समिति की अनुशंसाओं पर सेना के अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन के कारण पदोन्नति की अवधि कम कर दी गई है तथा समय वेतनमान पदोन्नति कर्नल (समकक्ष) के पद तक बढ़ा दी गई है तथा लेफ्ट. कर्नल (टीएस) का रैंक समाप्त कर दिया है. कर्नल (टीएस) (समकक्ष) ग्रेड वेतन रु. 8,700/- प्रतिमाह के हकदार हैं.

(ग) लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6,000/- रु. प्रतिमाह की एक नियत धनराशि भी देय है.

(घ) कैडेट प्रशिक्षण हेतु वृत्तिका

कैडेट पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 21,000/- रुपये प्रति माह (15,600/- रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा 5,400/- रु. का ग्रेड पे) की नियम वृत्तिका पाने का हकदार होंगे.

(ii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 6,000/-, 9000/-, 15,000/- या 20,000/- का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है.

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक, 500/- रु. प्रतिमाह
- (ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I, 400/- रु. प्रतिमाह
- (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I, 280/- रु. प्रतिमाह
- (iv) मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक, 400/- रु. प्रतिमाह
- (v) ग्रीन कार्ड कार्डधारक वायुयान चालक, 280/- रु. प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है :

- (क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर 10,500/- रु.
- (ख) मेजर से कर्नल 14,000/- रु.
- (ग) कैप्टन और समकक्ष 11,000/- रु.
- (घ) लैफ्टिनेंट और समकक्ष 9,000/- रु.

अन्य भत्ते

(क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा. (ख) रु. 400/- प्रतिमाह की दर से किट रखरखाव भत्ता (ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6,780/- रु. से 8,400/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4,200/- रु. से 5,200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1,600/- रु. से 2,000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे. (घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1,060/- रु. प्रतिमाह से 11,200/- रु. प्रतिमाह तकनीकी रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा. (ड) सभी रैंक के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त रु. 14,000/- प्रतिमाह की दर से सियाचिन भत्ता देय होगा. तथापि, यह भत्ता अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के साथ देय नहीं है. (च) परिधान भत्ता : एक बार किट के लिए 14,000/- रु. की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्ष के लिए 3,000/- रु. (छ) सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता है (ज) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता 3,200/- + उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 1,600/- रु. + उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा. (झ) बच्चों की शिक्षा भत्ता.

(क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :

(क) इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाये, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा.

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस

पर शिक्षा शुल्क, भोजन वस्त्र और किए गये व्यय तथा दिए गये वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी.

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेंटलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किए जायेंगे. "जेंटलमैन कैडेट" पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए "भारतीय सैन्य अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे."

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, तथापि यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च वे खुद बर्दाश्त करेंगे. भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है. भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और नौ सेना और वायु सेना में स्थापित सदृश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं. जिन माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है. यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं.

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा.

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए. जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा.

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी.

(क) प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च	रु. 1000.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	रु. 2750.00
योग	रु. 3750.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी.

200.00 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने के जेब खर्च

5. भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति :** यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है. छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपये प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो. जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे.

(2) **कर्नल कैडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति :** इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपये प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है. यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है.

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा. इस भत्ते की जो रकम खर्च होती वह :

(क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी.

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी. कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी.

किन्तु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाएगा तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा. इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा.

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है. उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल लिए जाएंगे. भारतीय सैनिक अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता/पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे. जिस कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है. इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को अपनी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा.

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा. कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी. यह कमीशन स्थायी होगा.

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी.

10. प्रशिक्षण

भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को "जेंटलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है. उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफैंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें. प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेंटलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो.

11. बीमा

भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन/महिला कैडेट का पहली अप्रैल, 2011 से 40 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है. विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 20 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 4 लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है. तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए किसी प्रकार का विकलांगता लाभ देय नहीं है लेकिन 50,000/- रु. का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा. मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले जेंटलमैन/महिला कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह के लिए पात्र नहीं होंगे. वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन/महिला कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 4,000/- रु. की दर से अग्रिम भुगतान करना होगा और नियमित सैनिक अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य सेना सामूहिक बीमा योजना के सदस्य बन जाएंगे.

12. सेवा की शर्तें :**(1) तैनाती :**

थलसेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किये जा सकते हैं।

(2) पदोन्नति**(क) स्थायी पदोन्नति**

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति, के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा :

लेफ्टिनेंट	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

चयन द्वारा

कर्नल	15 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	6 वर्ष
लेफ्टिनेंट कर्नल	6½ वर्ष
कर्नल	8½ वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लेफ्टिनेंट जनरल	25 वर्ष

(ख) भारतीय नौ सेना अकादमी, इझीमाला, केरल में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 35,000/- रु. की राशि उनके द्वारा दी जाएगी और बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी जिसे वे आने पर भारतीय स्टेट बैंक, इझीमाला शाखा में खुलवाएंगे। क्योंकि यह बड़ी राशि है, यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं का देय डिमांड ड्राफ्ट लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी :

विविध व्यय

(क) जेब खर्च/व्यक्ति व्यय	5,000/- रु. @ 1,000 रु. प्रतिमाह की दर से
(ख) धुलायी, सिविलियन बियरर सिनेमा, बाल कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. @ 850 रु. प्रतिमाह की दर से
(ग) अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफती खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रेक/सूट और बस्ता की स्टिचिंग/खरीद पर व्यय	20,000/- रु.
(घ) अवधि के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अवकाश इयूटीस्टेशन/होम स्टेशन पर जाने के लिए यात्रा व्यय	2,000/- रु.

(ड) बीमा : नौसेना अकादमी में 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रतिवेदन के समय, उम्मीदवार को 8 लाख रुपये के बीमा आवरण हेतु 780/- रुपये की

राशि के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो कि वापस नहीं होगा। प्रत्येक पदावधि अवधि के लिये रुपये 780/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

(ii) चयनित उम्मीदवारों को कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा नौसेना जहाज एवं स्थापना में प्रशिक्षण के लिए जाना होगा जो निम्नलिखित हैं :

(कक) नौसेना अकादमी इझीमाला	20 सप्ताह
नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	
(खख) कैडेट प्रशिक्षण	06 महीने
(गग) मिडशिपमैन (जहाज पर प्रशिक्षण)	06 महीने
(घघ) उप-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम)	12 महीने

(iii) उपर्युक्त प्रशिक्षण के पूरे होने पर अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय नौ सेना के जहाजों पर नौसेना निगरानी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की जाएगी जिसके लिए कम से कम छह महीने की अवधि अनिवार्य है।

(iv) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, तब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा संरक्षण उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500.00 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सीडीएस/एनसीसी/एयरमैन. वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं उनका वायु सेना चयन बोर्डों में वायु सेना तथा सशस्त्र सेवा की अन्य शाखाओं के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। सामान्य उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएसबी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से भी आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौसेना/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए ओएलक्यू परीक्षण के लिए दुबारा बुलाया जाएगा।

2. प्रशिक्षण पर भेजना :

वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुसंशित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शरीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एण्ट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डाइरेक्ट एण्ट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची स.लोक.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. **पायलट :** वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा दरें (परिशोधन के अधीन हैं) : वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइंट कैडेट के निकटतम संबंधी

को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए रु. 1,00,000/- रुपये अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइंट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपये अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जाएंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20 प्रतिशत रह जाती है। प्रशिक्षण के दौरान, कैडेट रु. 8000/- प्रतिमाह की वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा। सरकार द्वारा फ्लाइंट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिये जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000 रुपये होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25,000 रुपये होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा यह सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइंट कैडेट द्वारा 76/- रुपये के मासिक अप्रतिभेद अंशदान के भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(1) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें। वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 140/- रुपये (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करने में असमर्थ है तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रु. या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने के हकदार नहीं हैं। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों से होने वाले आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार को अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिये जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रपिहित कर देगा।

(2) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(क) 140 रुपये प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रुपये
(ख) वस्त्र और उपस्कर मदों के लिए	1500 रुपये

योग 2340 रुपये

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है।

140 रुपये प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए जेब भत्ता 840 रुपये।

4. **भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :** प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। भारतीय वायु सेना में दो प्रकार की पदोन्नति होती है अर्थात् कार्यकारी रैंक प्रदान करके और स्थायी रैंक प्रदान करके। प्रत्येक उच्च रैंक के लिए अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित हैं। रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते हैं। स्क्वेड्रन लीडर तथा विंग कमांडर के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पायलट) शाखा की क्रमशः 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सफलता पूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। विंग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत गठित पदोन्नति

बोर्डों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन एक बार में 10 से अधिक नहीं।

अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात् 01 जनवरी, 1971 से आरंभ होने वाले दो वर्षों के ब्लाक वर्ष में अपने परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों सहित एक बार अपने गृह नगर जाने और वापस आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। जिस वर्ष वह पत्नी तथा बच्चों सहित अपने कार्य स्थल से तीव्र स्टेज/गृह नगर तक 1450 कि.मी. के रास्ते के लिए आने और जाने, दोनों तरफ के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान इयूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी। जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कलेण्डर वर्ष में 6 'एक तरफा यात्रा' फार्म डी पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के किराये का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म डी पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जायेगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. पेंशन लाभ :

सेवा निवृत्ति पेंशन : सेवा निवृत्ति पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की कम से कम अवधि 20 वर्ष है। (लाभ के बिना) सेवा निवृत्ति पेंशन अधिकारी द्वारा उसकी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त (वेतन, रैंक वेतन और प्रेक्टिस निषेध भत्ता, यदि कोई हो) की गई उन परिलब्धियों की औसत के 50 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित की जाएगी, जो पेंशन के मामले में संगणनीय है, इस प्रकार निर्धारित की गई राशि संगणनीय अर्हक सेवा के 3 वर्ष (अर्थात् की गई वास्तविक सेवा तथा स्वीकार्य वर्षों की सेवा लाभ) के लिए सेवा निवृत्ति पेंशन होगी; संगणनीय अर्हक सेवा कम वर्षों के मामले में यह राशि अनुपात के हिसाब से कम होती जाएगी। सेवा निवृत्ति पेंशन किसी भी मामले में 1913/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

7. सेवा निवृत्ति उपदान :

सेवा निवृत्ति उपदान : सेवा निवृत्ति के लिए अर्हक सेवा की कम से कम अवधि (लाभ के बिना) 10 वर्ष है, सेवा निवृत्ति उपदान अर्हक सेवा की प्रत्येक छः महीने की अवधि पूरी करने पर आधे महीने की परिलब्धियों की एक समान दर के हिसाब से स्वीकार्य होगी। इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में अधिकारी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन, रैंक वेतन, महंगाई भत्ता और प्रेक्टिस बंदी भत्ता (यदि कोई हो), प्रगतिरोध/वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता (सेवा निवृत्ति/अशक्तता/मृत्यु की तिथि पर देय) शामिल होगा।

8. मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान :

पेंशन या उपदान के अतिरिक्त, प्रत्येक छः महीने के अवधि की अर्हक सेवा के लिए तथा 5 वर्ष का लाभ परिलब्धियों के चौथाई के बराबर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान देय है, जो कि परिलब्धियों का 16½ गुणा होगा और 3.5 लाख रुपये से अधिक न होगा।

9. सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और निवृत्ति उपदान इस प्रकार से होंगे :

(क) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का वेतन

(ख) पहले वर्ष की सेवा के बाद किंतु पांच वर्ष की सेवा से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो छः महीने का वेतन.

(ग) पांच वर्ष की सेवा के बाद किंतु 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन.

(घ) यदि मृत्यु बीस वर्ष या उसके बाद होती है तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये एक महीने का वेतन, जो कि कम से कम 12 माह के वेतन एवं अधिक से अधिक 33 माह के वेतन के बराबर होगा, परन्तु किसी मामले पर भी मृत्यु और निवृत्ति उपदान की राशि 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी.

विकलांगता पेंशन और विशेष परिवार पेंशन जिसमें बच्चों और आश्रितों (माता-पिता, बहन तथा भाई) को पेंशन देना भी शामिल है, निर्धारित नियमों के अनुसार भी देय है.

10. अन्य सुविधाएं :

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं.

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै में भर्ती हो :

(क) उसे इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूर्च्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए.

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहे या यदि दिये जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे.

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जायेंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 11 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा. उन उम्मीदवारों को "सेना अधिनियम" के अंतर्गत जैण्टलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जायेगा. सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जैण्टलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे.

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा. जिसके कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200 प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है. किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी. यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है. बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय रु. 1500/- प्रतिमास से कम हो. जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै को भेज देगा.

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गये उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के लिए निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी.

(क) रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता

(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए रु. 5000/-

(ग) 2 माह के लिए समूह बीमा राशि (एजीआईएफ)

कुल 10000/-

यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी.

5. समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा.

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गये वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जायेंगी. यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाये तो इन वस्तुओं को उससे वापिस ले लिया जायेगा, इन वस्तुओं को सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा.

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैण्टलमैन कैडेट का थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है. प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बांड भरना होगा.

7. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद उम्मीदवारों को अकादमी से त्यागपत्र दिये बिना और प्रशिक्षण के खर्च का भुगतान किए बिना सशस्त्र सेना, नौ-सेना और वायु सेना अथवा किसी अन्य रोजगार में प्रवेश/आयोग की किसी प्रकार की परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किन्तु उन जैण्टलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद नौ सेना और वायु सेना में कौरसपौडिंग कैडेट प्रशिक्षण संगठनों अथवा भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै से त्याग पत्र देंगे उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा.

8. जिस जैण्टलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जायेगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है. इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा.

9. प्रशिक्षण :

चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अंतर्गत जैण्टलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जायेगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरांत जैण्टलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है.

10. सेवा की शर्तें :

(क) परिवीक्षा की अवधि

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा. यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किये जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे.

(ख) तैनाती :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.क्यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिंदा नियुक्तियों पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है.

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन (पुरुष एवं महिला) 14 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जायेगा. अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जायेगा. नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा. जो पुरुष अधिकारी सेना में दस वर्ष के अल्पकालिक, सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा.

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो कमीशन पूर्व अनुदान के लिये चयनित नहीं हुए हैं लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिये (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा, इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेना निर्मुक्त किया जाएगा. महिला अधिकारी स्थायी कमीशन की पात्र नहीं हैं, तथापि वे 14 वर्ष की अवधि तक वृद्धि के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं.

(घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान :

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा. तत्पश्चात् सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा. अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा. लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथा निर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती. उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा.

(ङ) बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान :

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :

(i) सिविल पद प्राप्त करने पर
(ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर
(iii) अपना व्यवसाय आरम्भ करने पर/फैमिली व्यवसाय अपनाने पर

(च) स्थायी पदोन्नति : अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे.

(i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में.
(ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में
(iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में.

(छ) अनिवार्य शर्तें : स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शस्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी.

(ज) वरिष्ठता का समायोजन : एसएससी पुरुष अधिकारियों तथा एसएससी महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एसएससी पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिए, विचाराधीन एसएससी कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अंतर की कोरसपौडिंग अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा. इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा. संशोधित, वरिष्ठता क्रम में कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे.

(झ) संगणित कमीशन प्राप्त सेवा : उपर्युक्त पैरा 10(ज) के उपबंधों के अध्याधीन इन आदेशों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गणना कमीशन सेवा अधिकारी को अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करने की तारीख से की जाएगी. कोर्ट मार्शल होने पर सेवा अवधि जब्त होने या सेना अधिनियम के अंतर्गत सम्मरी अवार्ड मिलने पर तथा बिना अनुमति अवकाश पर रहने की अवधि को नहीं गिना जायेगा. वह अवधि जिसके दौरान छुट्टी की दरों का वेतन दिया गया तथा वह अवधि जिसके दौरान पीओडब्ल्यू दरों पर वेतन दिया गया, को गिना जाएगा. किसी महिला अधिकारी को बिना वेतन के प्रदान किए जाने वाले अवकाश को भी पदोन्नति की सेवा अवधि के लिए गिना जाएगा. तथापि, उच्चतर वास्तविक रैंक के लिए स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों की पात्रता के लिए सेवा अवधि को अधिकारी द्वारा सेवा में अर्हता प्राप्त करने की तारीख से गिना जाएगा बशर्ते कि इसे पहले इस तरह से तथा वास्तविक रैंक प्रदान करने की तारीख से न गिना गया हो.

(ञ) छुट्टी :

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खण्ड-1 थल सेना के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे. एसएससी महिला अधिकारी एस.ए.एल. 1/एस/92-एस के अनुसार प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होंगी.

(ट) कमीशन की समाप्ति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को पांच वर्ष की सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है.

(i) अपचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या
(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर तीन महीने के नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति दी जा सकती है. किंतु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार होगी. करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा.

(ठ) सेवांत उपदान :

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एसएससीओ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए 1/2 माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे.

(ड) रिजर्व के रहने का दायित्व : 5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे.

(ढ) विविध : सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तब उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वही होगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं.